FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

बनाम श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा चेतावा नं. 68/2022 साल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
19.6.23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारेक [illegible] उप [illegible] तौर [illegible] में [illegible]/मीटिंग में [illegible] कार्यवाही होकर दिनांक 23.8.23 को पेश हो।
23-8-23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारेक [illegible] उप./[illegible] अधिकारी तौर/[illegible] में [illegible]/मीटिंग [illegible] है। [illegible] कार्यवाही होकर दिनांक 8.11.23 को पेश हो।
18.10.2023 वादपत्र को विड्रा किया जाता है। वादी अधिवक्ता [illegible] 18/10/23	वकील वादीगण के द्वारा स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 08.11.2023 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर उक्त वादपत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो जाने से वादपत्र को आगे न चलाकर इसी स्तर पर विड्रा किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर वादपत्र को विड्रा किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मुकम्मल दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.31 12:10:57 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधो
श्रीमाधोपुर (सीकर)